

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
11.10.2017	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेषों0 जारी हो। टिप्पणी रेषों. तलब होकर पत्रावली दिनांक 31.10.2017 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(3) अति. कमिश्नर (द्वितीय) जयपुर</p>	<p>2531-32 12/10/17</p>
31-10-17	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलानुष्ठ उपस्थित/राज्य लोक सूचना अधिकारी को टिप्पणी प्राप्त। पुनः तहरीर लोक दिनांक 6-11-17 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">(3) अति. कमिश्नर (द्वितीय) जयपुर</p>	<p>5 नवंबर 2612 2-11-17</p>
6-11-17	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलानुष्ठ स्वयं उपस्थित। उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर को फुल फॉर्म क्र. 321/अपील-12/आम आ/17/4172 दिनांक 30-10-17 प्राप्त। शामिल मामला रहे। राज्य लोक सूचना अधिकारी ने अपने फुल फॉर्म में जाहिर किया है कि जारी पत्र क्र. 3307 दिनांक 4-8-2017 अपीलानुष्ठ को सूचित किया गया है कि सम्बन्धित पत्रावली जयपुर शहर में पुलिस कमिश्नरेट लाकर लोक सूचना अधिनियम, 2017 में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं कार्यालय सजिलेटे जयपुर दक्षिण के स्थानान्तरित को प्राथमिक है। अपीलानुष्ठ का कथन है कि उसके पास दिनांक 4-9-2017 प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलानुष्ठ का यह भी कथन है कि ऐसा कोई शकल नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके अपीलानुष्ठ के पत्र दिनांक 4-9-2017 द्वारा सूचना जारी एक या अधिक व्यक्त प्रेषित की गई है। अपीलानुष्ठ के कथन से हम सहमत हैं। उप-खण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थना पर को सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को स्थानान्तरित कर प्रार्थना को सूचना दिया जाना आवश्यक था, जो कि उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर</p>	<p>S Doharia ji का पत्रावली क्र. 4172 30-10-17</p>

(3)

# फर्द अहकाम

ग्यारसीलाल शर्मा

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी,  
(उपखण्ड अधिकारी), सांगानेर

आर.टी.आई. अपील संख्या 15/2017

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>शायद ही कि जा जाना जा सके है अतः अफिल का इस निदेश के साथ निस्कारण किया जाता है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी, उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर, सम्बन्धित है निम्ना उपा प्राप्त कर अपीलार-प्राप्ति के सम्बन्ध में अवधि में निशुल्क उपलब्ध करीं। यावली फैलल शुमार सेकट दर्ज नम्बर है वसली निर्णय हेतु इजलास सुनाया गया।</p>	<p>अति. कलक्टर (द्वितीय) बन्सुर</p>

पंजीक  
2770-7  
15-11